फर्द अहकाम

( नियम 26)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

## किशनलाल बनाम डालु

किस्म मुकदमा ....वाद.... नं0 ....79.... सन ....2018....

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 4-8-18 | वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 22-11-18 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 22-11-18 | उभय पक्ष गुजरे। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।<br>अतः पत्रावली दिनांक ....11-5-19 को पेश हो।<br>रीडर<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| 10-1-19 | वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मे बताया कि हमारे दोनो पक्षो के बीच राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस मे खारिज करवाना फरमाया जावे।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर मनन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा वाद पत्र मे अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर नोट प्रेस मे खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>माण्डल जिला भीलवाड़ा | |